

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक:- 268/2015 नि0फौ0

संस्थित दिनांक 03-08-2015

मैसर्स अन्नपूर्णा इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर  
जसपालसिंह भाटिया पुत्र श्री तीरथप्रसाद  
भाटिया। निवासी भाटिया ढाबा लूंगर वाडा  
सिवनी जिला सिवनी म0प्र0।

-----निगरानीकर्ता

**बनाम**

सतीश कुमार गुप्ता पहाडिया पुत्र गोपालदास  
पहाडिया, निवासी वार्ड नम्बर 7 गोहदी जिला  
भिण्ड म0प्र0।

-----प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानीकर्ता द्वारा श्री पी.एन.भट्टेले अधिवक्ता।

गैरनिगरानीकर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

//आ दे श//

//आज दिनांक 15-02-2016 को पारित किया गया//

01. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 397 जा0फौ0 का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री गोपेश गर्ग के न्यायालय के प्र0कं0 440/2014 ई0फौ0 सतीश कुमार गुप्ता वि0 मैसर्स अन्नपूर्णा इण्डस्ट्रीज में पारित आदेश दिनांक 02.07.2015 से व्यथित होकर पेश की गई है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा दिनांक 07.05.2015 को प्रस्तुत किया गया आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।

02. वर्तमान निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिनिगरानी कर्ता/आवेदक के द्वारा अनावेदक/निगरानीकर्ता के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत परिवादपत्र पेश किया था। अनावेदक ने आवेदक से 7,00,000/- रूपए उधार लिए थे जिसके फलस्वरूप अनावेदक ने उक्त राशि भुगतान हेतु

दिनांक 09.04.2014 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिवनी का चैक दिया था जिसके भुगतान हेतु आवेदक ने उक्त चैक उसी दिनांक को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मौ रोड गोहद में जमा किया। तत्पश्चात् दिनांक 10.04.14 को बैंक द्वारा सूचित किया कि खाता में पर्याप्त निधि न होने से चैक का भुगतान नहीं किया जा सकता है और चैक आवेदक को वापस प्राप्त हो गया। उसके पश्चात् आवेदक के द्वारा अनावेदक को नोटिस दिया और दिनांक 19.05.14 को अधीनस्थ न्यायालय में परिवादपत्र अंतर्गत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम का पेश कर दिया। तत्पश्चात् अनावेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.05.15 को इस आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया कि उसके दो चैक नम्बर 790129 व 790130 कहीं गुम गए हैं जो कि तलाशने पर मिल नहीं रहे थे जिस कारण दिनांक 11.03.2013 को पंजाब नेशनल बैंक वी.ओ. जिला चौक सिवनी में आवेदनपत्र देकर एकाउंट स्तोप करा दिया गया और दिनांक 17.04.2014 को चैक गुम होने की सूचना दी। उक्त चैक आवेदक को प्राप्त हो गए थे और उसने मनमाने तरीके से एकाउंट भरकर गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय में परिवादपत्र पेश किया है जो कि संचालन योग्य नहीं है।

03. निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई दस्तावेजी साक्ष्य पर सही विवेचन न कर आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवेदनपत्र का विधिवत सही ढंग से अवलोकन न करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2015 को आपस्त किये जाने का निवेदन किया है।

04. प्रतिनिगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय के आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कारण न होना बताते हुए निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. उपरोक्त निगरानी के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि—  
क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 02.07.2015 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

//निष्कर्ष के आधार//

06. निगरानीकर्ता/आरोपीगण अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि उसका चेक गुम गया था और चेक गुमने के संबंध में उसके द्वारा दिनांक 11-3-13 को पंजाब नेशनल बैंक बी0ओ0चोक सिवनी में आवेदनपत्र देकर एकाउंट स्तोप करा दिया था

और कोतवाली सिवनी में चेक गुमने की सूचना भी दी थी । उक्त चेक परिवादी को प्राप्त हो गये और परिवादी ने मनमाने तरीके से एमाउंट भरकर चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज कराया है। इस आधार पर पराक्रम्य लिखित अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है जो कि संज्ञान लिये जाने योग्य नहीं है। परिवाद इस आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

07. गैरनिगरानीकर्ता/परिवादी अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि प्रकरण में जो कि परिवादी की साक्ष्य पूर्ण होकर बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्ष्य की स्टेज पर है । आरोपी के द्वारा गलत आधारों पर इस स्टेज पर प्रकरण की कार्यवाही को लम्बित करने के आशय से आवेदनपत्र पेश किया गया है । पुनरीक्षण आवेदनपत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

08. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। वर्तमान पुनरीक्षण आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 2-7-15 से व्यथित होकर पेश किया गया है । जिसमें कि विचारण न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 7-5-15 निरस्त किया गया है।

09. पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह आधार लिया गया है कि उसका प्रश्नाधीन चेक जिसके आधार पर वर्तमान प्रकरण पेश किया गया है वह गुम गया था और इस संबंध में उसके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक सिवनी शाखा में स्टॉप पेमेंट वाबत् आवेदनपत्र दिनांक 11-3-13 को आवेदनपत्र पेश किया है और इस संबंध में दिनांक 17-4-14 को कोतवाली सिवनी में रिपोर्ट भी की गयी है । इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के द्वारा लिये गये आधार का प्रश्न है विचारण न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने प्रश्नाधीन आदेश में यह अवधारित किया है कि उसके द्वारा लिये गये आधार साक्ष्य के उपरांत निराकृत किये जा सकते हैं और इस संबंध में धारा 139 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के प्रावधानों के तहत खण्डन करने हेतु उसे अवसर प्राप्त होगा। निश्चित तौर से मात्र कथित स्टॉप पेमेंट की प्रति या थाने में चेक गुमने के संबंध में रिपोर्ट की प्रतिलिपि के आधार पर इस संबंध में चल रही कार्यवाही को समाप्त करने हेतु कोई आधार नहीं माना जा सकता। इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी अपनी साक्ष्य से प्रतिरक्षा में लिये गये आधार से प्रमाणित कर सकता है।

10. अतः पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा लिये गये आधार कि उसका चेक गुम गया था और चेक गुमने के कारण फरियादी के द्वारा गलत रूप से प्रकरण पेश कर कार्यवाही की गयी है, इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 2-7-15 को जो आदेश पारित किया गया है वह अवैध, औचित्यहीन व अशुद्ध होना नहीं कहा जा सकता । उसमें हस्तक्षेप करने या फेरबदल करने का कोई आधार व कारण परिलक्षित नहीं होता ।

11. अतः विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 2-7-15 के आदेश में हस्तक्षेप

करने का आधार न होने से उसे यथावत् रखा जाता है। तदनुसार वर्तमान पुनरीक्षण आवेदनपत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

12. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के बुलाए गए सभी अभिलेख वापिस हो।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)